न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 863 / 2024
1. दिनेश कुमार पुत्र हरलाल
2. नेतराम पुत्र शिम्भुराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ओलखा की ढाणी तन इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

बनाम वादिया

1. अर्जुन पुत्र हरनारायण
2. गोकुल पुत्र हरनारायण
3. झुथाराम पुत्र हरनारायण
4. झिमली पत्नी हरनारायण
5. दड़की पत्नी मूलचन्द
6. नन्दलाल पुत्र हरनारायण
7. प्रमोद पुत्र मूलचन्द
8. प्रहलाद पुत्र मूलचन्द
9. मंगलचन्द पुत्र मूलचन्द
10. मनीष पुत्र हरनारायण
11. मेवाराम पुत्र मूलचन्द
12. रामेश्वर पुत्र हरनारायण
13. लक्ष्मण पुत्र मूलचन्द
14. लालचन्द पुत्र हरनारायण
15. शिशराम पुत्र हीरादास
16. सतीश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल

समस्त जाति स्वामी निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला नीमकाथाना।

17. झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबंधक
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबंधक
19. तहसीलदार गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

प्रतिवादीगण

वकील वादीगण :– एडवोकेट अशोक कुमार स्वामी
वकील प्रतिवादीगण :– एडवोकेट बनवारीलाल चौधरी

दावा विभाजन
निर्णय

निर्णय दिनांक 15/10/2025

संक्षेप में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 3.5400 हे0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादीगण का 22 / 354 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है शेष हिस्सा

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 का है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि अविभाजित भूमि है जिसका विधिवत विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ है। उक्त विवादित आराजी का विधिवत् विभाजन करवाने के लिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को कहा कि 5–7 रोज में तहसील में चलकर उक्त भूमि का विधिवत् बंटवारा करवा लेंगे लेकिन दिनांक 09.05.2024 को वादीगण ने पुनः प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण विधिवत् विभाजन करवाने के लिए साफ इन्कार हो गये। इस कारण वादीगण अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं कर सकते तथा ना ही खाम व पुख्ता निर्माण कर सकते तथा कृषि कार्यों के लिए बैंक आदि से ऋण वगैरा लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण अपने हिस्से का कब्जा काश्त के मुताबिक पृथक से बंटवारा करवाकर खाता अलग करवाने के अधिकारी है। इस कारण वादीगण द्वारा यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 3.5400 है0 में वादीगण का हिस्सा 22/354 के कब्जे काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन कर अलग लगान व खाता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का श्रम करावें।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 07.08.2025 को वाद वादीगण प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2736 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादीगण को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादीगण न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 3.5400 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2736 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान दिनेश वगैरह बनाम अर्जुन वगैरह

दावा बाबत् विभाजन

मुकदमा नं. : 863/2024

निर्णय दिनांक : 15/10/2025

वकील पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15/10/25 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 3.5400 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2736 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	4	योग	

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं (राज.)

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)